कार्यालय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0 प्र0, महानगर, लखनऊ–226006

संख्या: एफएसएल–डी0एन0ए0–विविध/16–17/ दिनांक: मार्च , 2017

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स
उ0प्र0/समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उ0प्र0

संदर्भ: विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ में डीएनए परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले नमूनों की ओवर सैम्पलिंग पर रोक लगाये जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

महोदय,

कृपया दिनॉक: 06.02.2017 को, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की विभिन्न इकाईयों/शाखाओं के अधिकारियों की आयोजित बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु–7 में विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 में डीएनए नमूनों की ओवर सैम्पलिंग पर रोक लगाये जाने के अनुपालन में ओवर सैम्पलिंग को कम किये जाने के आशय से डीएनए परीक्षण हेतु प्रदर्शों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजे जाने से पहले संम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी विवेचकों से डीएनए नमूनों के साथ यह आख्या भी प्राप्त कर लें कि डीएनए जॉच कराने से विवेचकों को विवेचना में क्या लाभ मिलेगा। विवेचकों द्वारा इस आख्या के प्रस्तुत किये बिना जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा डीएनए परीक्षण हेतु भेजे जाने वाले प्रपत्रों को प्रमाणित व हस्ताक्षरित न करें, साथ ही प्रत्येक जनपद में स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशाला की क्षेत्रीय इकाई के वैज्ञानिकों द्वारा भी डीएनए प्रपत्रों की स्क्रीनिंग अनिवार्य होगी। विवेचकों के द्वारा इस आख्या के बिना **दिनॉक: 01.04.2017** से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उ0प्र0 महानगर, लखनऊ में डीएनए के नमूने प्राप्त नहीं किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में अपने स्तर से भी सभी सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा–निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

Shyam B Upadhyay

(डा0 श्याम बिहारी उपाध्याय)
निदेशक
30.3.17

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित–
1. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक के सहायक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अनु सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–9, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।